न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 34/2005

1 सुरजा पुत्र नानक मृतक।
1/1 नारायणी देवी बेवा सुरजाराम।
1/2 हरिसिंह पुत्र सुरजाराम।
1/3 हनुताराम पुत्र सुरजाराम।
1/4 महेश कुमार पुत्र सुरजाराम।
1/5 राधेश्याम पुत्र सुरजाराम।
1/6 रणवीर पुत्र सुरजाराम समस्त जाति जाट निवासीगण मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
1/7 परमेश्वरी आयु 52 वर्ष पुत्री सुरजाराम पत्नी मोहनलाल जाति जाट निवासी जाटावास बगढ़ तहसील व जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झुंझुनू।
2 तहसीलदार मलसीसर जिला झुंझुनू।
3 गोपाल पुत्र चुना।
4 मृतक गिरधारी पुत्र चुना।
4/1 बाली देवी बेवा गिरधारी।
4/2 रणवीर पुत्र गिरधारी।
4/3 सुरेश पुत्र गिरधारी समस्त जाति जाट निवासीगण गोखरी तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
4/4 संतोष पुत्री गिरधारी पत्नी सहीराम।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

4/5 चावली पुत्र गिरधारी पत्नी प्रताप जाति जाट निवासी मीरवाली छोटी तहसील राजगढ़ जिला चूरू।
4/6 नानु पुत्री गिरधारी पत्नी देवकरण जाति जाट निवासी विजयपुरा तहसील राजगढ़ जिला चूरू।
4/7 सावित्री पुत्री गिरधारी पत्नी महेश जाति जाट निवासी धीरपाली छोटी तहसील राजगढ़ जिला चूरू।
4/8 सुमित्रा पुत्री गिरधारी पत्नी विनोद कुमार।
4/9 मन्जु पुत्री गिरधारी पत्नी विजयपाल समस्त जाति जाट निवासीगण ढढ़ार तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
4/10 रोशनी पुत्री गिरधारी पत्नी बलवीर जाति जाट निवासी ओजटु तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खिलाफ निर्णय बअदालत उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू मुकदमा उनवानी राजस्थान सरकार बनाम चन्द्रा वगैरह अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मुकदमा नम्बर 25/2004 निर्णय दिनांक 29.03.2005

अपील संख्या 35/2005

1 सिलोचना पत्नी दयानन्द।
2 विजयसिंह पुत्र दयानन्द।
3 प्रमोद पुत्र दयानन्द समस्त जाति जाट निवासीगण मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।

अपीलांट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झुंझुनू।
2 तहसीलदार मलसीसर जिला झुंझुनू।
3 चन्द्राराम पुत्र जैसा जाति चमार निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
4 गोपाल पुत्र चुना।
5 मृतक गिरधारी पुत्र चुना।
5/1 बाली देवी बेवा गिरधारी।
5/2 रणवीर पुत्र गिरधारी।
5/3 सुरेश पुत्र गिरधारी समस्त जाति जाट निवासीगण गोखरी तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
5/4 संतोष पुत्री गिरधारी पत्नी सहीराम।
5/5 चावली पुत्र गिरधारी पत्नी प्रताप जाति जाट निवासी मीरवाली छोटी तहसील राजगढ़ जिला चूरू।
5/6 नानु पुत्री गिरधारी पत्नी देवकरण जाति जाट निवासी विजयपुरा तहसील राजगढ़ जिला चूरू।
5/7 सावित्री पुत्री गिरधारी पत्नी महेश जाति जाट निवासी धीरपाली छोटी तहसील राजगढ़ जिला चूरू।
5/8 सुमित्रा पुत्री गिरधारी पत्नी विनोद कुमार।
5/9 मन्जु पुत्री गिरधारी पत्नी विजयपाल समस्त जाति जाट निवासीगण ढढ़ार तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
5/10 रोशनी पुत्री गिरधारी पत्नी बलवीर जाति जाट निवासी ओजटु तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनू)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खिलाफ निर्णय बअदालत उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू मुकदमा उनवानी राजस्थान सरकार बनाम चन्द्रा वगैरह अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मुकदमा नम्बर 25/2004 निर्णय दिनांक 29.03.2005

उपस्थिति :

1. श्री विनोद गिल, अधिवक्ता अपीलांट
2. राजकीय, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 25.03.2021

यह दोनों अपीले विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू द्वारा मुकदमा संख्या 25/2004 मे पारित निर्णय दिनांक 29.03.2005 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। दोनो पत्रावलीयों में पक्षकार एवं विवादित भूमि समान होने से दोनो का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। दोनो पत्रावलीयों में निर्णय की प्रतियां अलग—अलग रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में तहसीलदार झुंझुनू ने धारा 175 के अन्तर्गत दावा प्रस्तुत किया कि ग्राम गोखरी तहसील झुंझुनू की भूमि खसरा नम्बर 46/1 रकबा 12 बीघा 6 बिस्वा, 46/2 रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा को प्रतिपक्षी नम्बर 1 ने धारा 42ख का उल्लघन करते हुये प्रतिपक्षी संख्या 2 से 4 को हस्तान्तरित कर दिया। अत आवेदन स्वीकार कर विवादित भूमि राज्य सरकार के नाम की जावें। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपीले प्रस्तुत की गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचाराधीन आवेदन/दावा पेश होने से पूर्व रेस्पोडेंट संख्या 1 व 5 का देहान्त हो चुका था। विचारण न्यायालय ने मृत व्यक्ति के विरूद्व विचाराधीन आदेश पारित कर दिया है। विचारण न्यायालय द्वारा अप्रार्थी प्रतिवादीगण की सम्यक तामील नही करवाई गई। विचारण न्यायालय में प्रकरण तामील में चल रहा था तामीली कार्यवाही पूर्ण किये बिना ही विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है जो विधि विरूद्व है। अपील स्वीकार की जावें।

राजकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा सम्यक तामील करवाकर विधि अनुसार विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। इसमे कोई विधिक त्रुटि नही है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा मृत व्यक्ति के विरूद्व विचाराधीन आदेश पारित किया गया है। जो विधि अनुसार नलिटी है। अपीलांट्स मृतक के वारिसान है। यहां यह भी विचारणीय है कि विचारण न्यायालय में प्रकरण तामील में चल रहा था तामीली कार्यवाही पूर्ण किये बिना ही विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है जो विधि विरूद्व है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर प्रकरण में गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 22.04.2021 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 25.03.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर